



J&J द्वारा दोषपूर्ण हपि प्रत्यारोपण पर मुआवज़े का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा कथि गए दोषपूर्ण हपि प्रत्यारोपण के मामले में मरीज़ों हेतु मुआवज़े की राशा निर्धारित करने के लिये केंद्रीय वशिषज्ज समतिका गठन कथिा है, साथ ही राज्यों को भी अलग-अलग समतिका गठन करने का नरिदेश दथिा है। उल्लेखनीय है कविर्तमान में ऐसे मामलों में मरीज़ों को मुआवज़ा मुहैया कराने के लिये कोई वशिषिट कानूनी प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय समतिि

- नई केंद्रीय समतिका गठन 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पूरव डीन डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित वशिषज्ज समतिका सफिरशि के आधार पर कथिा गया है। उल्लेखनीय है कडि डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समतिि ने प्रत्येक मरीज़ को 20 लाख रुपए का भुगतान करने की सफिरशि की थी।
- नई केंद्रीय समतिि की अध्यक्षता सफदरजंग अस्पताल के खेल चोट केंद्र (sports injury centre) के नदिशक आर. के. आचार्य करेंगे और इस समतिि में पाँच सदस्य होंगे।
- केंद्रीय समतिि आधार मुआवज़े और मजदूरी के नुकसान के आधार पर कुल मुआवज़ा राशा किरधारण करेगी।
- हपि प्रत्यारोपण कराने वाले ऐसे सभी मरीज़ मुआवज़े के हकदार हैं जनिहें एक से अधिक बार सर्जरी करानी पड़ी या हपि प्रत्यारोपण के बाद भी अक्षमता से पीड़ित हैं।
- मरीज़ अपनी सुवधिा के अनुसार केंद्रीय वशिषज्ज समतिि या राज्य स्तरीय समतिियों से संपर्क कर सकते हैं।

राज्य स्तरीय समतिियां

- पैनल के अनुसार, राज्य स्तरीय समतिियाँ डविाइस के उपयोग के कारण मरीज़ों में होने वाली अक्षमता तथा परेशानियों के दावों का मूल्यांकन करेगी।
- स्वास्थ्य और परवार कलयाण मंत्रालय के अनुसार, राज्य स्तरीय समतिियों में दो ऑर्थोपेडिक सर्जन, सरकारी मेडिकल कॉलेज का एक रेडयोलॉजिस्ट और औषध नयामक के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतनिधि शामिल होंगे।
- राज्यों से समाचार पत्रों में वजिजापन देने के लिये भी कहा गया है ताका प्रभावति मरीज़ इन समतिियों से संपर्क कर सकें।
- राज्य स्तरीय समतिि की सहायता से केंद्रीय वशिषज्ज समतिि उचति कानून के तहत स्वीकार्य मुआवज़े की सटीक राशा निर्धारित करेगी जसि सेंटरल डरग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) को सूचति कथिा जाएगा और CDSCO मरीज़ों के दथि जाने वाली मुआवज़ा राशा के लिये आदेश पारति करेगा।

क्या है हपि ट्रांसप्लांट?

- हपि ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रथिा है जसिमें एक कृत्रमि हपि का प्रत्यारोपण कथिा जाता है।

दोषपूर्ण हपि ट्रांसप्लांट का प्रभाव

- दोषपूर्ण हपि ट्रांसप्लांट के कारण रक्त में कोबाल्ट और क्रोमियम का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है।
- इसके कारण शरीर में टॉक्सनि शामिल हो जाते हैं जो ऊतकों को नुकसान पहुँचाते हैं साथ ही, शरीर के अन्य अंगों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
- इन सबके कारण मरीज़ को न केवल स्वास्थ्य संबंधी वभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं बल्क उसके शरीर में अत्यधिक दरद रहता है और चलने-फरिने में भी कठनिई होती है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jj-faulty-hip-implants-govt-forms-panel-to-decide-on-compensation>